



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

20

2 215121

मुक्त एवं रहित है और प्रथम पक्ष विक्रेतागण को अपनी उपरोक्त

भूमि का विक्रय तथा हस्तान्तरित आदि करने के समस्त स्वामित्व

एवं अधिकार प्राप्त है। कोई वैधानिक त्रुटि अथवा दोष प्रथम पक्ष

मुताबक

मोह-ह मुह

मोह-ह मुह

20



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

215122

. 21 .

के विक्रय अधिकारों में बाधक नहीं है। प्रथम पक्ष ने उपरोक्त

भूमि को किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था में बन्धक नहीं किया

है तथा वह सभी प्रकार के भारों से मुक्त है। उपरोक्त भूमि

13/11/44 21/11/44

21



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

. 22 .



प्रथम पक्ष के संक्रमणीय अधिकारों की भूमि है तथा उसका कोई

काशतकार शिकमी या साझी, जैली व काबिज नहीं है तथा मौके

पर प्रथम पक्ष की काशत मौजूद है। उपरोक्त भूमि के सम्बन्ध में

प्रमाणित

मोह-उत्तर



[Signature]





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

. 24 .

के अन्तर्गत किसी भी रूप में अतिरिक्त घोषित नहीं है और

उसके सम्बन्ध में धारा 10 (3) व धारा 10 (5) का कोई आदेश

पारित नहीं हुआ है। उपरोक्त भूमि कृषि की भूमि है तथा समस्त

मुजालम
20-5-2006
[Signature]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

. 25 .

राजस्व अभिलेखों में कृषि के रूप में अंकित है। उपरोक्त भूमि

का मूल्य अंकन 1,95,97,912/- एक करोड़ पचानवे लाख

सत्तानवे हजार नौ सो बारह रुपये तय है जो अति उचित एवं

हुआ

मीरु उग्र